



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122022-240871
CG-DL-E-08122022-240871

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5473]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2022/अग्रहायण 16, 1944

No. 5473]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2022/AGRAHAYANA 16, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2022

(सं. 47/2015-2020)

विषय: 15.12.2022 से परिशिष्ट 4द में अतिरिक्त निर्यात मदों को शामिल करने के संबंध में।

का.आ. 5709(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा 15.12.2022 से किए गए निर्यात हेतु विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4.59 के तहत संशोधित परिशिष्ट 4द को अधिसूचित करती है।

2. दिनांक 15.12.2022 से 30.09.2023 तक किए गए निर्यात हेतु यह संशोधित परिशिष्ट 4द लागू होगा। विदेश व्यापार नीति 2015-20 (समय समय पर यथा- संशोधित) के पैरा 4.54 के अनुसार स्कीम का पालन करने हेतु बजटीय प्रारूप, आवश्यक परिवर्तन और संशोधन बाद में किए जाएंगे।

3. संशोधित आरओडीटीईपी परिशिष्ट 4द, जिसमें पात्र आरओडीटीईपी निर्यात मदें, दरें और प्रति इकाई उच्चतम मूल्य सीमाएं, जहां भी लागू हों, 'रेग्यूलेटरी अपडेट्स आरओडीटीईपी' लिंक के अंतर्गत डीजीएफटी के पोर्टल www.dgft.gov.in पर उपलब्ध है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: अध्याय 28, 29, 30 और 73 में अतिरिक्त निर्यात क्षेत्रों/मदों को दिनांक 15.12.2022 से किए गए निर्यात हेतु आरओडीटीईपी के तहत परिशिष्ट 4द में शामिल किया जा रहा है और यह 30.09.2023 तक लागू होगा।

[फा. सं. 01/61/180/155/एएम-21/पीसी-3]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2022

(No. 47/2015-2020)**Subject: Inclusion of additional export items in Appendix 4R with effect from 15.12.2022-reg**

S.O. 5709(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2015-20, the Central Government hereby notifies a revised Appendix 4R under Para 4.59 of Foreign Trade Policy, 2015-20 for exports made from 15.12.2022.

2. The revised Appendix 4R will be applicable for exports made from 15.12.2022 to 30.09.2023. To adhere to the Scheme budgetary framework, necessary changes and revisions as per Para 4.54 of FTP 2015-20 (as amended from time to time) will be made thereafter.

3. The revised RoDTEP Appendix 4R containing the eligible RoDTEP export items, rates and per unit value caps, wherever applicable is available at the DGFT portal www.dgft.gov.in under the link 'Regulatory Updates >RoDTEP'.

Effect of this Notification: Additional export sectors/items in Chapter 28, 29, 30 & 73 are being added in Appendix 4R under RoDTEP for exports made from 15.12.2022 and shall be applicable till 30.09.2023.

[F. No. 01/61/180/155/AM-21/PC3]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade, Ex-officio Addl. Secy.